ग्राम पंचायत टिहरा, विकास खण्ड सुजानपुर, जिला हमीरपुर के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.14 से 31.03.17

1 (क) प्रस्तावना :-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र., को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत टिहरा, विकास खण्ड सुजानपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे:-

प्रधान :-

क्र॰ सं॰	नाम	अवधि
1	श्री मदन लाल	01.04.14 से 22.10.16
2	श्री रमेश चन्द	23.01.16 से अद्यतन

सचिव :-

क्र॰ सं॰	नाम	अवधि
1	श्री ओम प्रकाश	01.04.14 से 31.03.17

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत टिहरा, विकास खण्ड सुजानपुर के लेखाओं अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है ।

क्रoसंo	पैरा संo	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	पैरा-4.1	रोकड़ वही व बैंक खाते में अन्तर बारे	0.04
2	पैरा-4.2	रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान न करना	-
3	पैरा-4.3	बैंक में जमा राशि का रोकड़ वही में लेखांकन न करना	0.18
4	पैरा-4.4	पंचायत के खाते निजी बैंक में खोलने बारे	-
5	पैरा-5	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	0.03
6	पैरा-6	अनुदान का उपयोग न करना	5.96
7	पैरा-8	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	-

8	पैरा-9	निर्माण सामग्री का क्रय अनुमोदित दरों से अधिक दरों पर करने के फलस्वरूप हानि	0.05

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत टिहरा, विकास खण्ड सुजानपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 4/2014 से 03/2017 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री संदीप कमल, अनुभाग अधिकारी व श्री नरेन्दर कुमार, आर्टिक्ल सहायक द्वारा दिनांक 09.05.17 से 16.05.2017 तक ग्राम पंचायत कार्यालय मे किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2014-15	02/2015	03/2015
2015-16	10/2015	10/2015
2016-17	03/2017	11/2016

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा ।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत टिहरा, विकास खण्ड सुजानपुर के अवधि 4/2014 से 3/2017 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹6200 बनता है । उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 368 दिनांक 16.05.17 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में पंचायत द्वारा ड्राफ्ट संख्या 200980 (KCCB) दिनांक 23.05.17 के माध्यम से उक्त राशि को निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-171009 को प्रेषित कर दिया गया।

4 वितीय स्थिति :-

ग्राम पंचायत टिहरा, द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के लेखाओं को वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी:-

(1) स्व स्त्रौत:- ग्राम पंचायत टिहरा, के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक की स्व स्त्रौतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	64602	42123	106725	13734	92991
2015-16	92991	76222	169213	7430	161783
2016-17	161783	23628	185411	48969	136442

(2) अनुदान :- ग्राम पंचायत टिहरा, के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1** में भी दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	594594	2450735	3045329	2401810	643519
2015-16	643519	2212559	2856078	2486918	369160
2016-17	369160	2637923	3007083	2411235	595848

4.1 रोकड़ वही व बैंक खाते के अंतशेष में ₹0.04 लाख का अन्तर:-

जांच में पाया कि पंचायत में General Grant, Own Source Income, में प्राप्त आय व अनुदान को उक्त विभिन्न बैंक खातों में जमा करवाया गया था लेकिन समय-2 पर नियमानुसार रोकड़ वही का मिलान बैंक शेष से नहीं किया गया था, जिस कारण से दिनांक 31.03.17 को ₹4338 का अन्तर पाया गया जिसका ब्योरा निम्न प्रकार से है:-

स्व स्त्रौत :-

दिनांक 31.03.17 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेष : ₹136442

अनुदान :-

दिनांक 31.03.17 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेष : ₹595848

कुल अन्तिम शेष ₹732290

दिनांक 31.03.17 को बैंक खातों में शेष ₹727950

हस्तगत राशि ₹2

अन्तर की राशि ₹4338

बैंक खाता संख्या	राशि
GEN. (B) PNB-42449	350520
GEN. (A) KCCB-04994	148680.55
IAY, CANARA-06637	703
14th FC, HDFC-93750	227992
13th FC, PNB-42458	54
MNREGA, CANARA-04198	0
कुल राशि	**727949.55**

उपरोक्त अन्तर बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 365 दिनांक 15.05.17 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था लेकिन इस पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। अतः उक्त अन्तर ₹4338 बारे स्थिति स्पष्ट करें तथा इसका मिलान करके अनुपलना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाये।

4.2 रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान न करना :-

ग्राम पंचायत टिहरा की रोकड़ वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ वही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ वहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए

नियमानुसार पंचायत की रोकड़ वहियों को बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

4.3 बैंक में जमा ₹0.18 लाख का रोकड़ वही में लेखांकन न करना:-

जांच में पाया कि पंचायत में स्व जल धारा के नाम से बैंक खाता संख्या KCCB-20042039008 खोला गया था जिसमें दिनांक 31.03.17 को ₹17836 जमा थे एवं इस खाते का रख-रखाव रोकड़ वही में नहीं किया गया था एवं अंकेक्षण अवधि में इस खाते से कोई लेन-देन भी नहीं किया गया था। अंकेक्षण के दौरान पंचायत सचिव द्वारा इस खाते के रख-रखाव के उदेश्य से अंकेक्षण को अवगत नहीं करवाया जिससे इस खाते में जमा राशि के दुरुपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता । अतः इस खाते को खोलने के उदेश्य से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ एवं इसका रख-रखाव रोकड़ वही में करना सुनिश्चित करें ताकि इसमे जमा राशि का दुरुपयोग न हो सके ।

4.4 पंचायत के खाते निजी बैंक में खोलने बारे :-

जांच में पाया कि पंचायत के 14th FC का खाता निजी बैंक एचडीएफ़सी सुजानपुर में खोला गया था, जो कि वित विभाग के पत्र संख्या Fin-IF(A)1-68/91-V दिनांक 17.04.14 में दिये गए दिशा-निर्देशों की सरासर अवहेलना है । उक्त पत्र में वर्णित निर्देशों के अनुसार सरकारी संस्थानों की अतिरिक्त राशि Cooperative Bank में निवेशित की जानी अपेक्षित थी । अतः पंचायत निधि की राशि को निजी बैंक में रखने का औचित्य स्पष्ट करें एवं उक्त पत्र के निर्देशों के अनुसार Cooperative Bank की नजदीक की शाखा में पंचायत की राशि को निवेशित करना सुनिश्चित करें ।

5 पंचायत राजस्व ₹0.03 लाख की वसूली शेष:-

पंचायत की स्व स्त्रौतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक गृहकर के रूप में वसूली हेतु ₹2810 शेष थी, जिसकी वसूली करना सुनिश्चित करें एवं नियमानुसार गृहकर का रजिस्टर भी तैयार करना सुनिश्चित करें। निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.03.17 तक पंचायत के राजस्व ₹2810 की वसूली शेष थी।

1. गृहकर :

वर्ष	अथशेष	गृहकर की अपेक्षित मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2014-15	0	10080	10080	9900	180
2015-16	180	11710	11890	10590	1300
2016-17	1300	12130	13430	10690	2740

(i) जांच में पाया कि गृह कर के रूप में वसूली गई राशि में से निम्न विवरणानुसार ₹70 कम जमा करवाई गई थी, जिसकी वसूली उचित स्त्रौत से करके पंचायत के खाते में जमा करना सुनिश्चित करें एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ।

अवधि	रसीद संख्या	वसूल की गई राशि	जमा करवाई राशि व दिनांक	कम जमा राशि
2015-16	94802 से 94900	1900	10590	70
	94901 से 95000	5160		
	95702 से 95760	3600		

(ii) जांच में पाया कि पंचायत द्वारा गृहकर की वसूली की दरें ग्राम सभा में प्रस्ताव पास करके दरें निर्धारित नहीं की गई थी एवं घरों, दुकानों एवं होटल से गृहकर की वसूली अलग-2 दरों पर की गई थी, जो कि पारदर्शिता के अभाव को दर्शाता है । अतः पंचायत प्रशासन को परामर्श दिया जाता है कि ग्राम सभा में प्रस्ताव पास करके गृहकर की दरें निर्धारित की जाएँ एवं उसी के अनुसार गृहकर की वसूली करना सुनिश्चित करें ।

2. **भू- राजस्व की वसूली न करना :-**

पंचायत की स्व स्त्रौतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेखों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 2014-15 से 2016-17 में भू- राजस्व की वसूली नहीं की थी एवं न ही इसकी वसूली हेतु उचित प्रयास किए गए थे । अतः नियमानुसार भू- राजस्व की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट करने के साथ-साथ इसकी वसूली प्रतिवर्ष करना सुनिश्चित करें ।

3. अंकेक्षण के दौरान पंचायत सचिव द्वारा सूचित किया गया कि पंचायत क्षेत्र में कोई भी मोबाइल टावर स्थापित नहीं है जबकि जांच में पाया गया कि दिनांक 17.06.15 को भारती इन्फ्राटेल लि. शिमला से मोबाइल टावर की नवीनीकरण फीस के रूप में ₹2500 वसूल किए गए थे एवं इसके पश्चात इस प्रकार की कोई भी राशि वसूल नहीं की गई थी । अतः यह स्पष्ट किया जाए कि उक्त राशि की वसूली भारती इन्फ्राटेल लि. से क्यों की गई थी एवं यदि कोई मोबाइल टावर पंचायत क्षेत्र में है तो नियमों के अनुसार स्थापना फीस व नवीनीकरण फीस की वसूली करना सुनिश्चित करें ।

6 **अनुदान ₹5.96 लाख का उपयोग न करना :-**

पंचायत द्वारा अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट-1)** के अनुसार दिनांक 31.03.17 तक अनुदान ₹595848 उपयोग हेतु शेष थी । ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ- साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये ।

7 **निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किए बिना ही व्यय करना :-**

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000 व इससे अधिक राशि के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता था । निर्माण कार्यों से संबन्धित व्यय वाउचरों की जांच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्नविवरणानुसार निर्माण कार्यों पर व्यय प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना ही किया गया, जो कि नियमों के अनुकूल न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है । अतः निर्माण कार्यों पर किए गए व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा किए गए व्यय की वसूली उचित स्त्रौत से करने के उपरान्त अपेक्षित राशि पंचायत निधि में जमा करवाई जाये ।

क्र०सं	अवधि	कार्य का नाम
		General Cash Book
1	2014-15	नि. पंचायत घर टिहरा
2	2015-16	नि. खेल मैदान ग्राम पंचायत टिहरा

8 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक/स्टोर का क्रय करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4), 67 (5) एवं 69 द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें (निविदायें आमंत्रित करना इत्यादि) प्रावधित है । चयनित माहों के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि निम्नविवरणानुसार पंचायत द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है । अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र०सं	वाउचर संख्या	बिल का विवरण	सामग्री का विवरण	राशि	कार्य का नाम
	General Cash Book				
1	72 दिनांक 02.03.15	Bill No. 70 Dated 12.10.14, M/s New Bandhoo Hardware	स्टील	4704.00	नि. पंचायत घर टिहरा
2	75 दिनांक 02.03.15	Bill No. 25 Dated 02.03.15, M/s New Bandhoo Hardware	स्टील	20809.00	नि. शमशान घाट, बार्ड-3
3	78 दिनांक 02.03.15	Bill No. 69 Dated 27.02.15, M/s New Bandhoo Hardware	स्टील	2977.00	नि. सम्पर्क मार्ग अच्छर सिंह के घर से पवन कुमार के घर तक
4	167 दिनांक 23.10.15	Bill No. 216 Dated 15.03.15, M/s Sharma Light & Tent house	Generator Charges	15000.00	नि. शमशान घाट, बार्ड-3

9 निर्माण सामग्री का क्रय अनुमोदित दरों से अधिक दरों पर करने के फलस्वरूप ₹0.05 लाख की हानि:-

जांच में पाया कि वर्ष 2016-17 में निर्माण सामग्री के क्रय हेतु प्रस्ताव संख्या-5 दिनांक 26.04.16 द्वारा मैसेर्ज अजय पाल सिंह की दरें अनुमोदित की गई थी, लेकिन दिनांक 25.05.16 को मैसेर्ज अजय पाल सिंह ने सामग्री की आपूर्ति करने में असमर्थता व्यक्त की। अतः पंचायत ने प्रस्ताव संख्या 8 दिनांक 25.05.16 द्वारा मैसेर्ज अजय पाल सिंह की दरें रदद करके दूसरी संख्या वाले आपूर्तिकर्ता मैसेर्ज मस्त राम की दरों को अनुमोदित किया गया था, जो कि मैसेर्ज अजय पाल सिंह की दरों से अधिक थी । अर्थात मैसेर्ज मस्त राम के पक्ष में निर्माण सामग्री की दरें अनुमोदित करते समय पूर्व में अनुमोदित दरों को नजरन्दाज किया गया था, जिससे वर्ष 2016-17 में निर्माण सामग्री का क्रय अधिक दरों पर करके

पंचायत निधि को हानि पहुंचाई गई थी । अनुमोदित दरों का विवरण निम्नलिखित है :-

निर्माण सामग्री	मैसेर्ज अजय पाल सिंह की अनुमोदित दरें, जो कि रदद कर दी गई थी। (per cubic feet)	मैसेर्ज मस्त राम की अनुमोदित दरें । (per cubic feet)
बजरी (क्रशर)	31	35
रेत (खड्ड)	27	28.57
रेत (क्रशर)	31	40
गोला पत्थर	-	22.50

चयनित माहों में निम्न विवरणानुसार ₹5155 का अधिक भुगतान किया गया था, जिसकी वसूली उचित स्त्रौत से करना सुनिश्चित करें :-

वाउचर संख्या	बिल का विवरण	क्रय सामग्री का विवरण	अपेक्षित अनुमोदित दरें	अधिक भुगतान
29/ 26.05.16	Bill No. – Dated 16.04.16, M/s Mast Ram	बजरी (क्रशर) 280 cft @ ₹35 रेत (खड्ड) 240 cft @ ₹28 गोला (पत्थर) 340 cft @ ₹23	₹31 ₹27 ₹22.50	1120 240 170
30/ 26.05.16	Bill No. – Dated 16.04.16, M/s Mast Ram	बजरी (क्रशर) 300 cft @ ₹35 रेत (क्रशर) 150 cft @ ₹39 गोला (पत्थर) 250 cft @ ₹23	₹31 ₹31 ₹22.50	1200 1200 125
71/ 03.09.16	Bill No. 84 Dated 20.08.16, M/s Mast Ram	बजरी (क्रशर) 225 cft @ ₹32 रेत (खड्ड) 225 cft @ ₹28	₹31 ₹ 27	225 225
107/ 29.09.16	Bill No. 89 Dated 15.09.16, M/s Mast Ram	बजरी (क्रशर) 300 cft @ ₹32 रेत (क्रशर) 150 cft @ ₹32 गोला (पत्थर) 400 cft @₹23	₹31 ₹31 ₹22.50	300 150 200
			अधिक भुगतान	**₹5155**

अतः उपरोक्त अधिक भुगतान के लिए स्थिति स्पष्ट की जाये अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रौत से करना सुनिश्चित करें एवं भविष्य में इस प्रकार की गलती को न दोहराया जाये ।

10 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/ अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाब नहीं किया गया था, जो कि अनियमित व आपतिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

1. अनुदान रजिस्टर
2. यात्रा भत्ता बिल का जांच पड़ताल रजिस्टर ।

3. रसीदों का भण्डार रजिस्टर में रख-रखाव न करना ।

11 प्रत्यक्ष सत्यापन :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।

12 लघु आपति विवरणिका :- इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी-2 आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

13 निष्कर्ष :- लेखों में सुधार की आवश्यकता है ।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
फोन नं0 0177–2620046

पृष्ठांकन संख्याः–फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(6)14/2017–खण्ड–1–5797–5800,दिनाँक,20.09.17
शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत

1 सचिव, ग्राम पंचायत टीहरा, विकास खण्ड सुजानपुर, जिला हमीरपुर (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी, हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हि0प्र0
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड सुजानपुर, तहसील सुजानपुर, जिला हमीरपुर हि0प्र0

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
फोन नं0 0177–2620046